

निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद मंगलौर राज्य वित्त आयोग/15 वें वित्त/ पालिका निधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से नगर पालिका परिषद मंगलौर के क्षेत्रान्तर्गत 23 निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु सीलबन्द निविदाएं आमन्त्रित करती है। अतः नगर पालिका परिषद मंगलौर के ए. व. बी. श्रेणी के पर्जीकृत फर्म/ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि जो फर्म/ठेकेदार उक्त निर्माण कार्य करने के इच्छुक हों वे दिनांक 13.10.2026 मे समय सायं 4.00 बजे तक पालिका कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस मे निर्माण कार्यों के निविदा प्रपत्र कय कर सकते है एवं कय की गई निविदाएं सीलबन्द लिफाफे मे जिस पर फर्म/ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 14.10.2026 मे अपराह्न 1.00 बजे तक उपलब्ध करा सकते है ,समय से प्राप्त निविदायें दिनांक 14.10.2026 मे अपराह्न 3.00 बजे निविदादाता एवं निर्माण कार्य हेतु गठित समिति की देख रेख मे खोली जायेगी ! प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंगलौर/अध्यक्ष निविदा समिति मे निहित है! निर्माण कार्यों का विवरण, निविदा की शर्तें नगर पालिका परिषद मंगलौर की आधिकारिक वेबसाईट nppmanglor.org एवं उत्तराखण्ड सरकार के n.i.c. portal पर अथवा नगर पालिका परिषद मंगलौर के निर्माण अनुभाग मे देखी जा सकती है।

(उत्तम सिंह नेगी)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंगलौर

(मोहियुद्दीन)

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद मंगलौर

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

पत्रांक 1431 / निर्माण अनु0 / निविदा / 2026-27 / दिनांक-28/9/2026

- प्रतिलिपि-**
- 1- कार्यालय जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु!
 - 2- कार्यालय ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट महोदय तहसील रुडकी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु!
 - 3- कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथी तक पालिका को प्राप्त निविदाओं को खोले जाने हेतु नगर पालिका परिषद मंगलौर मे उपस्थित होने के अनुरोध सहित प्रेषित!
 - 4- दैनिक समाचार पत्र " शाह टाइम्स " एवं "दैनिक हॉक" के रुडकी एवं हरिद्वार के संस्करण मे 09 के फॉन्ट मे प्रकाशनार्थ!
 - 5- उत्तराखण्ड सरकार के n.i.c. portal पर अपलोड किये जाने हेतु!
 - 6- नगर पालिका परिषद मंगलौर की आधिकारिक वेबसाईट nppmanglor.org पर अपलोड किये जाने हेतु!
 - 7- अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद मंगलौर!
 - 8- नगर पालिका परिषद मंगलौर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु!
 - 9- एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली हेतु!

(उत्तम सिंह नेगी)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंगलौर

निविदा सूचना एवं कार्यो का विवरण

नगर पालिका परिषद मंगलौर राज्य वित्त आयोग/15 वें वित्त/ पालिका निधि के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि से नगर पालिका परिषद मंगलौर के क्षेत्रान्तर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु सीलबन्द निविदाएं आमन्त्रित करती है। अतः नगर पालिका परिषद मंगलौर के ,ए, व ,बी, श्रेणी के पर्जीकृत फर्म/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि जो फर्म/ ठेकेदार कार्य दिवस मे निर्माण कार्यो के निविदा प्रपत्र कय कर सकते है एवं कय की गई निविदाएं सीलबन्द लिफाफे मे जिस पर फर्म/ ठेकेदार का नाम व कार्य का नाम लिखा हो दिनांक-13.10.2026 मे समय सायं 4.00 बजे तक पालिका कार्यालय से किसी भी दिनांक-14.10.2026 मे अपराह्न 1.00 बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं समय से प्राप्त निविदायें दिनांक-14.10.2026 मे अपराह्न 3.00 बजे निविदादाता एवं निर्माण कार्य हेतु गठित समिति की देख रेख मे खोली जायेगी ! प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंगलौर मे निहित हैं निविदा प्रपत्रों के साथ निर्धारित मूल्यों की जमानत राशि की एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0/बचत पत्र जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंगलौर के पदनाम से बन्धक हो, रालग्न करनी अनिवार्य होगा, निर्माण कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	आगणन राशि (लाख मे)	धरोहर धनराशि (रुपये)	निविदा प्रपत्र धनराशि + जी० एस० टी० 18 प्रतिशत अतिरिक्त	कार्य की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	वार्ड न० 05 मौहल्ला पठानपुरा मे अय्यूब के मकान से शकील के मकान की ओर सडक का सी० सी० द्वारा निर्माण आदि का कार्य!	24.13	48260	2000 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
2	वार्ड न० 20 चिडियाकोट मे मसरूर के गोदाम से छोटे के घर की ओर क्षतिग्रस्त सडक का सी० सी० द्वारा निर्माण व नाली/चैनल आदि का निर्माण कार्य!	4.87	9740	500 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	बी
3	वार्ड न० 19 मुफ्ती राशिद के मकान से कलीम, अनीस के मकान की ओर के सी० सी० सडक का निर्माण आदि कार्य!	5.06	10120	1000 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	बी
4	नगर पालिका परिषद मंगलौर के वार्ड न० 15 मौहल्ला पठानपुरा मे कमोरा तालाब की सफाई आदि का कार्य!	15.07	30140	1500 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
5	वार्ड न० 15 मौहल्ला पठानपुरा में यासीन के मकान से मस्जिद की ओर क्षतिग्रस्त गली का निर्माण कार्य!	4.61	9220	500 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	बी
6	वार्ड न० 01 मौहल्ला खालसा मे अब्दुल खालिक के मकान से गौतम के मकान की ओर क्षतिग्रस्त सडक का सी० सी० द्वारा निर्माण कार्य!	20.76	41520	2000 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
7	वार्ड न० 01 मौहल्ला मिर्घगान मे पीर के पास से जहीर की बेकरी की ओर क्षतिग्रस्त सडक का सी० सी० द्वारा निर्माण कार्य!	4.30	8600	500 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	बी
8	वार्ड न० 02 प्रिथी वाली मे जुनैद के मकान से प्रवेज के मकान की ओर क्षतिग्रस्त मार्ग का सी० सी० द्वारा निर्माण आदि का कार्य!	12.21	24420	1500 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
9	वार्ड न० 02 प्रिथी वाली मोहसीन के गोदाम से आशु के मकान की ओर क्षतिग्रस्त मार्ग का सी० सी० द्वारा निर्माण आदि का कार्य!	11.72	23440	1500 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
10	वार्ड न० 02 मजबता मे रजब अली के मकान से मौलाना अख्तर व इकराम की दुकान की ओर क्षतिग्रस्त सडक का सी० सी० द्वारा निर्माण आदि का कार्य!	8.06	16120	1000 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
11	वार्ड न० 02 मे गाधारोणा रोड से मजाहिर के मकान की ओर सी० सी० सडक निर्माण आदि का कार्य!	14.46	28920	1500रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
12	वार्ड न० 04 मदीना कॉलानी मे वसीम के मकान से अजहर के मकान की ओर क्षतिग्रस्त सडक का सी० सी० द्वारा निर्माण कार्य!	8.64	17280	1000 रु०+जी०एस०टी०	6 माह	ए
13	वार्ड न० 04 मदीना कॉलोनी मे नफीस के मकान से तहसीन के मकान की ओर क्षतिग्रस्त सडक का सी० सी० द्वारा निर्माण कार्य!	3.44	6880	500रु०+जी०एस०टी०	6 माह	बी

14	वार्ड न0 04 टाण्डा रोड पर डॉ नदीम के क्लीनिक से इमरान के मकान की ओर क्षतिग्रस्त सड़क का सी0 सी0 द्वारा निर्माण कार्य!	6.44	12880	1000 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	वी
15	वार्ड न0 05 मौहल्ला पठानपुरा मे महबूब के मकान से इकराम के मकान तक क्षतिग्रस्त गली का सी0 सी0 द्वारा सुधार/निर्माण कार्य!	6.94	13880	1000 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	वी
16	वार्ड न0 05 मौहल्ला पठानपुरा मे मौलवी उमर दराज के मकान के पास से रिफाकत के मकान की ओर सड़क व नाली का निर्माण आदि कार्य!	6.84	13680	1000 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	वी
17	वार्ड न0 05 मौहल्ला पठानपुरा मे अनीस के मकान से शमशाद के मकान की ओर क्षतिग्रस्त गली का सी0 सी0 द्वारा निर्माण कार्य!	3.21	6420	500 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	वी
18	वार्ड न0 05 मौहल्ला पठानपुरा मे हसनैन के प्लॉट से नूर आलम के मकान से होते हुए दीन मौहम्मद-जानआलम के प्लॉट की ओर सी0 सी0 सड़क का निर्माण आदि कार्य!	15.62	31240	1500 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	ए
19	वार्ड न0 07 इस्लामनगर मे चौधरी के प्लॉट से आदिल के मकान की ओर क्षतिग्रस्त गली का सी0 सी0 द्वारा निर्माण व नाली निर्माण आदि का कार्य!	4.78	9560	500 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	वी
20	नगर पालिका परिषद मंगलौर के वार्ड न0 10 मौहल्ला लालवाडा मे गुला तालाब की सफाई आदि का कार्य!	22.56	45120	2000 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	ए
21	वार्ड न0 01 मौ0 सैनीपुरा मे मुण्डलाना रोड से इकरार अहमद के खेत की ओर नाले की दीवार का आर0 सी0 सी0 द्वारा निर्माण कार्य!	16.39	32720	1500 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	ए
22	वार्ड न0 05 मौ0 पठानपुरा मे नौशाद की डेरी से हसनैन के प्लॉट तक नाला निर्माण कार्य!	9.42	18840	1000 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	ए
23	वार्ड न0 10 मौहल्ला लालवाडा मे रियासत की डेरी से खतरियों वाले मन्दिर की ओर क्षतिग्रस्त नाले का निर्माण कार्य!	10.28	20560	1500 रु0+जी0एस0टी0	6 माह	ए

(उत्तम सिंह नेगी)

अधिशारी अधिकारी

नगर पालिका परिषद मंगलौर

(मोहियुद्दीन)

अध्यक्ष

नगर पालिका परिषद मंगलौर

कार्यालय नगर पालिका परिषद मंगलौर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

पत्रांक 1431(1) / निर्माण अनु0 / निविदा / 2026-27 / दिनांक- 28/9/2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी हरिद्वार!
2. ज्वाइन्ट मजिस्ट्रेट रुडकी!
3. कोषाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि नियत तिथी तक पालिका को प्राप्त निविदाओं को खोले जाने हेतु नगर पालिका परिषद मंगलौर मे उपस्थित होने के अनुरोध सहित प्रेषित!
4. उत्तराखण्ड सरकार के n.i.c. portal पर अपलोड किये जाने हेतु!
5. नगर पालिका परिषद मंगलौर की आधिकारिक वेबसाईट nppmanglor.org पर अपलोड किये जाने हेतु!
6. अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद मंगलौर!
7. नगर पालिका परिषद मंगलौर के नोटिस बोर्ड पर चरप्पा हेत!
8. एक प्रति सम्बन्धित पत्रावली हेतु!

(उत्तम सिंह नेगी)

अधिशारी अधिकारी

नगर पालिका परिषद मंगलौर

19 निर्माण कार्यो को सम्पादित कराये जाने हेतु शर्तें:-

- 1- यह कि सन्दर्भित कार्य ठेकेदार द्वारा टेन्डर के साथ नत्थी विवरण ड्राईंग के अनुसार निर्धारित अवधि में सम्पन्न किया जायेगा!
- 2- यह कि सन्दर्भित कार्य की निविदा के साथ सम्बन्धित ठेकेदार को जी0 एस0 टी0 का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य होगा!
- 3- यह कि सन्दर्भित कार्य की स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर ठेकानामा लिखने की कार्यवाही ठेकेदार के द्वारा पूर्ण की जायेगी! निर्धारित समयावधि में अनुबन्धनामा ना करने पर निविदा के साथ संलग्न धरोहर राशि पालिका हित में जब्त कर ली जायेगी एवं निविदा निरस्त कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा!
- 4- ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य की 02 प्रतिशत की धनराशि धरोहर के रूप में एफ0 डी0 आर0 अथवा एन0 एस0 सी0 बचतपत्र जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंगलौर के नाम बन्धक हो जमा कराया जाना अनिवार्य होगा! धरोहर राशि निविदा के साथ संलग्न ना करने पर निविदा स्वतः निरस्त समझी जायेगी!
- 5- निर्माण कार्य स्वीकृत होने व अनुबन्धनामा लिखने के उपरान्त ठेकेदार को ठेके की धनराशि की 03 प्रतिशत धरोहर राशि की एफ0 डी0 आर0 अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंगलौर के नाम बन्धक हो जमा कराया जाना अनिवार्य होगा, इसके उपरान्त सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य आदेश निर्गत किया जायेगा! ठेके की कुल 10 प्रतिशत की धनराशि धरोहर राशि के रूप में बन्धक रखी जायेगी जो कार्य पूर्ण होने के 01 वर्ष के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक होने की दशा में सम्बन्धित ठेकेदार को वापिस की जायेगी!
- 6- यह कि सन्दर्भित कार्य की बाबत पालिका को अधिकार होगा कि किसी भी आईटम में आवश्यकतानुसार कमी पेशी या सशोधन करे! केवल उस ही आईटम का मूल्य टेन्डर रेट से लागू होगा जिसका विवरण टेन्डर में है और यदि कोई नयी आईटम का कार्य ठेकेदार से कराया जायेगा तो उसका भुगतान ठेकेदार को पी0 डब्लू0 डी0 विभाग की तदसमय की शैड्यूल दरों के अनुसार किया जायेगा!
- 7- यह कि ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की पैमाईश (मेजरमेन्ट) नगर पालिका द्वारा अधिकृत अधिकारी जो भी मेजरमेन्ट बुक में लिखेगा वह गुझे मान्य होगी!
- 8- यह कि सन्दर्भित कार्य को करते समय ठेकेदार जो भी निर्माण सामग्री प्रयोग करेगा उसकी जाचें नगर पालिका के अधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व से करा ली जायेगी! यदि उनके अनुसार सामग्री सही नहीं होगी तो ठेकेदार उसका प्रयोग नहीं करेगा!
- 9- यह कि सन्दर्भित कार्य को करते हुए या किये जाने के बाद उसके सही होने का प्रमाण पत्रनगार पालिका द्वारा अधिकृत अधिकारी देंगे! यदि वर्कमैनशिप स्पेशिफिकेशन ड्राईंग के अनुसार वह ठेकेदार कार्य को नहीं कर पाता है तो जो भी पैन्टली स्वरूप राशि ठेकेदार पर आरोपित की जायेगी वह ठेकेदार के भुगतान बिल अथवा जमानत से वसूल की जायेगी, जिसके विषय में ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी!
- 10- पालिका कोष में धन की उपलब्धता होने पर ही सम्बन्धित ठेकेदार को निर्माण कार्य के बिलों का भुगतान पालिका द्वारा किया जायेगा!
- 11- यह कि सन्दर्भित कार्य को सम्पन्न किये जाने के एक वर्ष के अन्दर यदि नगर पालिका द्वारा अधिकृत अधिकारी इस कार्य के बारे में कोई टीका टिप्पणी या आलोचना करेंगे तो उनकी इच्छानुसार ठेकेदार उस कार्य को सम्पन्न करायेगा!
- 12- यह कि सन्दर्भित कार्य को पूर्ण करने में जो धन अथवा सामग्री प्रयोग होगी उसका प्रबन्ध ठेकेदार स्वयं करेगा!
- 13- यह कि ठेकेदार सीमेन्ट के कार्य की तराई उचित प्रकार से करायेगा!
- 14- यह कि मिट्टी के कार्य की माप सैक्शनल होगी और साढ़े बारह प्रतिशत कटौती होगी जिसके विषय में प्रथम कोई आपत्ति नहीं होगी!
- 15- यह कि मिट्टी भराव के कार्य हेतु नगर पालिका परिषद मंगलौर को ठेकेदार के द्वारा यह सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा कि मिट्टी किस स्थान से लायी जा रही है!
- 16- यह कि सड़क को बन्द करने हेतु रोशनी, बैरियर, बोर्ड तथा चौकीदार की व्यवस्था ठेकेदार स्वयं अपने खर्चे से करेगा! यदि ठेकेदार की लापरवाही के कारण किसी प्रकार की हानि होगी तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा!
- 17- यह कि सन्दर्भित कार्य की बाबत नगर पालिका को अधिकार होगा कि वह निविदा लेने के 03 माह बाद तक कार्य करने के लिए कार्य आदेश निर्गत करे!
- 18- यह कि यदि कार्य को पूर्ण करने की अवधि में यदि ठेकेदार के द्वारा कार्य को पूरा ना किया तो नगर पालिका को अधिकार होगा कि अकंन 100/रुपये से अकंन 500/रुपये प्रतिदिन तक जिस दर से चाहे बतौर हर्जाना वसूल कर लेवे!
- 19- यह कि ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कोरसैन्ड, बजरी इत्यादि की रायल्टी खनिज विभाग द्वारा निर्गत प्रपत्र जे के रूप में पालिका कार्यालय में निर्माण अनुभाग में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा! रायल्टी जमा ना कराये जाने पर पालिका द्वारा अधिरोपित रायल्टी ठेकेदार के भुगतान बिलों से कटौती की जायेगी!
- 20- यह कि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का यदि सम्बन्धित ठेकेदार के द्वारा उलघ्नन किया जाता है तो नगर पालिका परिषद मंगलौर को अधिकार होगा कि ठेका निरस्त कर दे एवं ठेकेदार की जमानत जब्त कर लेवे और कार्य को अन्य साधनों से सम्पन्न करा लेवे और उक्त कार्य को अन्य साधनों से कराने में ठेकेदार अथवा ठेकेदार के किसी भी उत्तराधिकारी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी एवं क्लेम करने का अधिकार भी नहीं होगा!
- 21- यह कि निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त उक्त कार्य की कोर कटिंग रिपोर्ट, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट, कार्य से पूर्व, कार्य के मध्य एवं कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटोग्राफ प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित कार्य का भुगतान पालिका द्वारा किया जायेगा!
- 22- यह कि स्वीकृत कार्य की बाबत यदि ठेकेदार एवं नगर पालिका परिषद मंगलौर के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निरस्तारण स्थानीय न्यायालय में किये जाने हेतु सम्बन्धित ठेकेदार पाबन्द रहेगा!

यह कि उपरोक्तानुसार कम संख्यां 01 से 22 तक सभी शर्तें अनिवार्य रूप से लागू होंगी तथा किसी भी शर्त का उलघ्नन करने पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा!

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मंगलौर!

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों को भली भाँति पढ़ लिया गया है
मैं सभी शर्तों का भली भाँति पालन करूँगा!

हस्ताक्षर एवं मोहर फर्म/ठेकेदार.....